न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ,रानीवाडा, जिला–जालोर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रकाश चन्द्र अग्रवाल, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 02/2020

अपीलान्टस

1. देवाराम पुत्र रामाजी
2. रतनाराम
3. जयन्तिलाल पिसरान रगारामजी
4. भूरी पत्नि रगारामजी जातियान भील निवासीयान रानीवाडा खुर्द तहसील रानीवाडा जिला जालोर।

रेस्पोडेण्टस

1. मंजू पुत्री प्रतापाजी पत्नि मोवनाजी निवासी रानीवाडा खुर्द हाल निवासी जालेरा खुर्द
2. लक्ष्मी पुत्री प्रतापाजी पत्नि रणछोड़ाजी निवासी रानीवाडा खुर्द हाल निवासी रानीवाडा कलां
3. रम्भा पुत्री प्रतापाजी पत्नि रमेशजी निवासी रानीवाडा खुर्द हाल निवासी आलड़ी तहसील रानीवाडा
4. संगीता पुत्र प्रतापाजी पत्नि रणछोड़ाजी निवासी रानीवाडा खुर्द हाल निवासी जालेरा खुर्द
5. मूली पत्नि प्रतापाजी निवासी रानीवाडा खुर्द तहसील रानीवाडा तमाम जातियान भील तहसील रानीवाडा
6. अणसी पुत्री रगाराम जातियान भील निवासी रानीवाडा खुर्द तहसील रानीवाडा
7. मृतक बाबू वल्द रामाजी के का. मू. वारीसान–
   7/1 राजू पुत्र बाबू
   7/2 गीता पुत्र बाबू
   7/3 रेशमा पत्नि बाबू जातियान भील निवासी रानीवाडा खुर्द
8. समू पुत्री रामाजी पत्नि भीखाजी निवासी रानीवाडा खुर्द हाल निवासी जालेरा खुर्द
9. लेहरी पुत्री रामाजी पत्नि हरचंदजी निवासी रानीवाडा खुर्द हाल निवासी दूधवट
10. रेशु पुत्री रामाजी पत्नि भेराजी निवासी रानीवाडा खुर्द हाल निवासी आलडी
11. पवी पुत्री रामाजी पत्नि

Signature Not Verified

Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2021.03.22 18:09:01 IST
Reason: SelfAttested

कालाजी निवासी रानीवाडा खुर्द हाल निवासी चाटवाडा

12. शारदा पुत्री रामाजी पत्नि अर्जनजी निवासी रानीवाडा खुर्द हाल निवासी रानीवाडा कलां तहसील रानीवाडा
13. लीला पुत्री रामाजी पत्नि हेमारामजी निवासी रानीवाडा खुर्द हाल निवासी शिवगढ तहसील जसवन्तपुरा
14. झमका पुत्री रामाजी पत्नि हरजीरामजी निवासी रानीवाडा खूर्द हाल निवासी आबूरोड तहसील आबूरोड जिला सिरोही तमाम जातियान भील
15. ग्राम पंचायत रानीवाडा खुर्द जरिये सरपंच।

म्युटेशन अपील बनाराजगी म्युटेशन संख्या 2372 दिनांक 21.01.2019

उपस्थिति :—

1. अपीलान्ट अधिवक्ता श्री जबराराम पूरोहित।
2. रेस्पोडेण्टस संख्या 1, 2, 3, 5, 7/1 के अधिवक्ता श्री भोपालसिंह राठौड़।
3. रेस्पोडेण्टस संख्या 6, 8, 9, 10, 12, 13, के अधिवक्ता श्री रमेशकुमार गर्ग।

—: निर्णय :—

दिनांक — 09.03.2021

1. अपीलाण्टस द्वारा रेस्पोडेण्टस के विरूद्व एक म्युटेशन संख्या 2372 दिनांक 21.01.2019 के संबंध में अपील प्रस्तुत की है जिनके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि मौजा रानीवाडा खुर्द तहसील रानीवाडा मे अपीलाण्टस व रेस्पोडेण्टस संख्या 1 से 14 पुश्तैनी खातेदारी आराजी नवीन खसरा नम्बर 383 रकबा 1.12 हेक्टेयर व खसरा नम्बर 385 रकबा 0.82 हेक्टेयर आई हुई हैं। उक्त आराजी की खातेदारी अपीलाण्टस व रेस्पोडेण्टस संख्या 1 से 14 के पूर्वाधिकारी रामा वल्द भागा उर्फ भाणा के नाम दर्ज है। उक्त रामा वल्द भाणा कौम भील साकिन रानीवाडा खुर्द फौत हो चूके हैं तथा उक्त रामा के फौत होने पर उक्त आराजी उत्तराधिकार में अपीलाण्टस व रेस्पोडेण्टस संख्या 1 से 14 को प्राप्त हुई, परन्तु उक्त रामा के फौत होने पर उक्त आराजी की खातेदारी रामा के तमाम वारीसान के नाम दर्ज नहीं कर हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के विपरित जरिये म्यूटेशन संख्या 2372 के उक्त आराजी की खातेदारी अपीलाण्टस [illegible] से 4 व रेस्पोडेण्टस संख्या 1 से 5 के पूर्वाधिकारी प्रतापा व रेस्पोडेण्टस संख्या 7/3 के नाम दर्ज कर दी तथा उक्त आराजी की जमाबंदी में अमलदरामद करते वक्त रेस्पोडेण्टस संख्या 1 से 4 के पिता व

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2021.03.22 13:09:01 IST
Reason: SelfAttested

5 के पति प्रतापा व रेस्पोडेण्टस संख्या 7 बाबू व रेस्पोडेण्टस संख्या 10, 11 ,13 के नाम इन्द्राज नहीं किये गये तथा उक्त म्युटेशन संख्या 2372 के जरिये रेस्पोडेण्टस संख्या 6 व 14 को उक्त रामा वल्द भाणा के वारीस होते हुए भी उक्त आराजी की खातेदारी में उक्त रेस्पोडेंट संख्या 6 से 14 का नाम दर्ज नहीं किया गया। उक्त म्युटेशन संख्या 2372 हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत होने से प्रारम्भ से ही अवैध शुन्य व निष्प्रभावी हैं तथा उक्त म्युटेशन 2372 के आधार पर दर्ज इन्द्राजों के पश्चातवर्ती तमाम कार्यवाही भी अवैध, शून्य व निष्प्रभावी हैं।

2. म्युटेशन संख्या 2372 जो रामा वल्द भागा उर्फ भाणा की फौतेदेगी पर स्वीकृत किया गया है, को स्वीकृत करने से पूर्व अपीलाण्टस व रेस्पोडेण्टस संख्या 1 से 14 को कोई सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया तथा न ही उक्त म्युटेशन स्वीकृत करने से पूर्व अपीलाण्टस को कोई नोटिस दिया गया। व ग्राम पंचायत रानीवाडा खुर्द ने तथ्यात्मक व वाक्याति भूल की इसलिये म्युटेशन संख्या 2372 को स्वीकृत करने की उक्त कार्यवाही प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्त के विपरित होने से काबिल खारीज है।
3. उक्त म्युटेशन संख्या 2372 हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के विपरित होने से प्रारम्भ से ही अवैध, शून्य व निष्प्रभावी हैं। इसलिये उक्त म्युटेशन संख्या 2372 को स्वीकृत करने की कार्यवाही को किसी भी समय चुनौती दी जा सकती है। अपीलाण्टस अपनी उक्त आराजी पर ऋण लेने हेतु दिनांक 24.07.2020 को हल्का पटवारी के पास गये तो अपीलाण्टस को जानकारी हुई कि रामा वल्द भागा उर्फ भाणा कौम भील के फौत होने पर उक्त आराजी की खातेदारी उक्त रामा के तमाम वारीसान के नाम म्युटेशन संख्या 2372 स्वीकृत कर दर्ज नहीं की। अपीलाण्ट व रेस्पोडेण्टस संख्या 8, 9, 10, 11, 12 व 13 के नाम दर्ज कर दी तथा जमाबंदी की खतौनी करते वक्त उक्त आराजी उक्त रामा के तमाम वारीसान के नाम दर्ज नहीं की। इसलिये अपीलाण्टस की अपील अंदर म्याद पेश हैं। फिर भी यदि अपीलाण्टस की अपील को अंदर म्याद नहीं माना जावे तो विकल्प में निवेदन है कि अपीलाण्टस ग्रामीण परिवेश में रहने वाले हैं तथा अनपढ हैं। इसलिये अपीलाण्टस को उक्त म्युटेशन संख्या 2372 की जानकारी नहीं हुई। इसलिये अपीलाण्टस की अपील को अंदर म्याद शुमार किया जाना न्याय हित में आवश्यक है। जिस हेतु धारा 5 म्याद अधिनियम का प्रार्थना पत्र अलग से पेश है। अतः अपीलाण्टस की अपील स्वीकार कर मौजा रानीवाडा खुर्द के म्युटेशन संख्या 2372 की कार्यवाही को अपास्त कर मौजा रानीवाडा खुर्द के नवीन खसरा नम्बर 383 व 385 रकबा कमश 1.12, 0.85 हेक्टेयर आराजी के खातेदार रामा वल्द भाणा कौम भील साकिन रानीवाडा खुर्द की फौतेदगी बाबत उक्त रामा के तमाम वारीसान के नाम म्युटेशन स्वीकृत करने के आदेश फरमावे।
4. अपीलाण्ट की अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेण्टस को समन जारी किये गए। रेस्पोडेण्टस संख्या 4, 7/2, 7/3, 11, 14, 15 की ओर से बाद तामिल समन कोई उपस्थित नहीं होने से एकपक्षीय कार्यवाही की गई। रेस्पोडेण्टस संख्या 1, 2, 3, 5, 7/1 के अधिवक्ता श्री भोपालसिंह राठौड़ व रेस्पोडेण्टस संख्या 6, 8, 9, 10, 12, 13, के अधिवक्ता श्री रमेशकुमार गर्ग की ओर वकालतनामा दिया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2021.03.22 18:09:01 IST
Reason: SelfAttested

5. सर्वप्रथम अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत 5 लिमिटे[illegible] के प्रार्थना पत्र को सुना गया। अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत म्युटेशन अपील स[illegible] रेकर्ड में तमाम वारीसान के नामान्तकरण के अनुरूप इन्द्र[illegible] संबंधित [illegible] की जानकारी अपीलाण्टस को

उक्त आराजी की जमाबंदी हल्का पटवारी से लेने पर दिनांक 24.07.2020 को हुई। ग्राम पंचायत रानीवाडा खुर्द द्वारा ना0 क0 संख्या 2372 स्वीकृत करते समय अपीलाण्टस को सुनवाई का अवसर नही दिया गया है, जो प्राकृतिक न्याय सिद्वान्त के विपरीत होने से अपीलाण्टस द्वारा प्रस्तुत 5 लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा विलम्ब को क्षम्य किया जाता है।

6. हमने अपीलाण्टस अधिवक्ता व रेस्पोडेण्टस अधिवक्ताओ की बहस सुनी गई। बहस में रेस्पोडेण्टस की वंशावली पेश कर अपील के तथ्यों को स्वीकारते हुए रामा वल्द भागा उर्फ भाणा के फौम होने पर स्वीकृत म्युटेशन संख्या 2372 को अपास्त कर रामा के तमाम वारीसान के नाम म्युटेशन स्वीकृत करने के आदेश देने का निवेदन किया। अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील एवं उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेज का अध्ययन कर मनन किया। अपीलाण्टस द्वारा पेश म्युटेशन संख्या 2372 का अध्ययन किया । जिसमें **रामा वल्द भागा कौम भील सा. देह खातेदार के स्थान पर प्रतापा बाबु पि.रामा रतनाराम जयन्तिलाल पुत्र रगाराम भूरी पत्नि रगाराम देवाराम पुत्र रामा समु लेहरी रेशु लीला पवी शारदा पुत्रिया रामा कौम भील सा. देह खातेदार दर्ज किया गया।**

7. उक्त इन्द्राज के आधार पर जमाबंदी में इन्द्राज किया गया जो रामा वल्द भागा के तमाम वारीसान के नामान्तरकरण के अनुरूप नही है, जो राजस्थान भू–राजस्व (अभिलेख) नियम 1957 के प्रावधानों के अनुरूप नही है। ऐसी स्थिति में उक्त नामान्तरण संख्या 2372 विधिक त्रुटि का होने से राजस्व रेकर्ड में दुरूस्ती करने हेतु उक्त नामान्तरण को निरस्त किया जाना न्यायसंगत है। अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलाण्टस की अपील आंशिक स्वीकार योग्य है।

–: आदेश :–

8. अतः उपयुक्त विवेचन के आधार पर अपीलाण्टस की अपील आंशिक स्वीकार की जाती है। तथा ग्राम पंचायत रानीवाडा खुर्द द्वारा नामान्तरणकरण संख्या 2372 स्वीकृत दिनांक 21.01.2019 को निरस्त किया जाता है। तथा उक्त नामान्तरणकरण के आधार पर जमाबंदी में किये गये इन्द्राज भी प्रभाव शुन्य धोषित किये जाते है। तथा उक्त ना0 संख्य 2372 को तहसीलदार रानीवाडा को प्रतिप्रेषित किया जाता है तथा निर्देश दिये जाते है कि आप रामा वल्द भागा के तमाम वारीसान की जांच कर उसके अनुरूप नामान्तकरण खोलने की विधिक प्रक्रिया अनुसार कार्यवाही करें। निर्णय की प्रति पालना हेतु तहसीलदार रानीवाडा को भेजी जावें।

पक्षकारान् अपना–अपना खर्चा वहन करें।

(प्रकाशचन्द अग्रवाल)
उपखण्ड अधिकारी
रानीवाडा

निर्णय आज दिनांक 09.03.2021 को मेरे द्वारा सरे इजलाज सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2021.03.22 18:09:01 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रानीवाडा